न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 10/2019

प्रार्थी–

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. दशरथसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत (भाटी) निवासी जोधा पुलिस थाना खुहडी जिला बाड़मेर (मैसर्स अनिल एजेन्सी, टिबा पाडा, जैसलमेर का मैनेजर) (वाहन संख्या आरजे04जीए5583)
2. श्रीमती हर प्यारी देवी जेठा गडीसर प्रोल के पास जैसलमेर (मैसर्स अनिल एजेन्सी, टिबा पाडा, जैसलमेर की सोल प्रोप्राइटर)
3. श्याम सुन्दर पुत्र राधे श्याम निवासी ए 213, शिव राम पार्क, एक्स 2 रंधाना, दिल्ली (नोमिनी परसर ऑफ मैसर्स जे के ऑयज इण्डस्ट्रिज, रोड नं. 1, साउथ मुण्डका, इण्डट्रियल एरिया मुण्डका, न्यू दिल्ली)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. श्री अमृतलाल जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:57 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक : 25.08.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी द्वारा दिनांक **20.07.2018** को पुलिस कोतवाली बाड़मेर द्वारा जब्त एक टेम्पो (वाहन संख्या आरजे04जीए5583) में, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 बैठा हुआ था, निरीक्षण दौरान **Cooking Medium Proprieary Food Brand Good Life** अलग–अलग कैरेट एवं कार्टून में भरा हुआ पाया गया जिसको मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 4 पैकेट **Cooking Medium Proprieary Food Brand Good Life** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–935** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **Cooking Medium Proprieary Food Brand Good Life** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **Cooking Medium Proprieary Food Brad Good Life** का नमूना **अवमानक (Substandard) एवं मिथ्याछाप (Misbranded)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जिन्हें जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:57 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर (राज.)

सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **03.08.2018** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 पर रूपये 50,000/–, अप्रार्थी संख्या 2 पर रूपये 1,00,000/– तथा अप्रार्थी संख्या 3 पर रूपये 2,50,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 18:00:57 IST
Reason: SelfAttested